

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 8613/2021 Shri Prashant Kalidhar, 352, Ambedkar Nagar, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 25000 cum per annum, Murrum - 3000 cum per annum) (Khasra No. 1 Peki), Village - Rehmanpura, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) Env. Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1), Village - Rehmanpura, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 510वीं दिनांक 25/08/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा धार जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 34 के सरल क्रमांक-28 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

प्रकरण आज सेक की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

2. Case No 8672/2021 Shri Maanbahadur, Village - Lebad, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (21375 cum per annum) (Khasra No. 1402/1), Village - Salkanpur, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) (Env. Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.))

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1402/1), Village - Salkanpur, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 520वीं दिनांक 13/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा धार जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 24 के सरल क्रमांक-5 पर इस खदान का विवरण दर्ज है।

प्रकरण आज सेक की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

3. Case No 9306/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 14.710 ha. (44010 cum per annum) (Khasra No. 66, 75) Village - Matiyawali-1, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 66, 75) Village - Matiyawali -1, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (M.P.) 14.710 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5539 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 14.710 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज नहीं खुल रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कई बार सॉफ्टवेयर में तकनीकी व्यवधान आने के कारण ऐसा होता है, जिसके संदर्भ में उनके द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में उनके द्वारा अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित को-आर्डिनेट के आधार पर गूगल इमेज प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किये जाने का अनुरोध है। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि गूगल इमेज के अनुसार खदान में आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान से रेत निकाल लिये जाने के कारण खनन क्षेत्र ऐसा दिख रहा है लेकिन वर्षाकाल के पश्चात् रेत रिप्लेनिश हो जाती है। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-96) के सरल क्रमांक-52 पर माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-44,010 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 44,010 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 44,010 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
5. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

4. Case No 9307/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 11.680 ha. (21,024 cum per annum) (Khasra No. 245, 246, 251) Village - Dhaur-2, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 245, 246, 251) Village - Dhaur-2, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind (M.P.) 11.680 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5535 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार इस खदान को मिला कर 46.660 हे. होता है एवं खदान का क्षेत्रफल 11.680 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 1350 मीटर पर एक ब्रिज है तथा नदी का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-96) के सरल क्रमांक-58 पर माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-21,024 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 21,024 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 21,024 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

5. Case No 9308/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 4.0 ha. (43,200 cum per annum) (Khasra No. 434) Village - Barethi Khurd - 2, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 434) Village - Barethi Khurd - 2, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (M.P.) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5551 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार इस खदान को मिला कर 91.472 हे. होता है, अतः यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह खदान बरेठीखुर्द नवीन के नाम से दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है । साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-96) के सरल क्रमांक-48 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-43,200 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 43,200 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात 43,200 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

6. Case No 9309/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 24.90 ha. (36,924 cum per annum) (Khasra No. 1) Village - Badettar, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1) Village - Badettar, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind (M.P.) 24.90 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5533 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार इस खदान को मिला कर 28.090 हे. होता है, एवं खदान का क्षेत्रफल 24.90 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 1345 मीटर पर एक ब्रिज है तथा खदान का कुछ भाग पानी में

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है । साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-96) के सरल क्रमांक-56 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-36,924 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 36,924 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 36,924 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
3. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

7. Case No 9310/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 9.0 ha. (54,000 cum per annum) (Khasra No. 1576) Village - Ajnar-2, Tehsil - Lahar, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1576) Village - Ajnar-2, Tehsil - Lahar, Dist.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

Bhind (M.P.) 9.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5541 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार इस खदान को मिला कर 28.810 हे. होता है, एवं खदान का क्षेत्रफल 09.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-97) के सरल क्रमांक-67 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-54,000 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 54,000 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 54,000 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

8. Case No 9311/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 15.850 ha. (28,530 cum per annum) (Khasra No. 247, 290) Village - Dhaur-3, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 247, 290) Village - Dhaur-3, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind (M.P.) 15.85 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5537 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार इस खदान को मिला कर 29.910 हे. होता है, एवं खदान का क्षेत्रफल 15.85 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है । साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-96) के सरल क्रमांक-59 पर माइनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत)-28,530 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेशियल 28,530 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 28,530 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

9. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
12. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।

9. Case No 9313/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 18.230 ha. (32,814 cum per annum) (Khasra No. 1, 2, 12, 45, 67) Village - Dhaur-1, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 2, 12, 45, 67) Village - Dhaur-1, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind (M.P.) 18.230 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5531 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार इस खदान को मिला कर 27.530 हे. होता है, एवं खदान का क्षेत्रफल 18.230 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज नहीं खुल रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कई बार सॉफ्टवेयर में तकनीकी व्यवधान आने के कारण ऐसा होता है, जिसके संदर्भ में उनके द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

प्रस्तुतीकरण में उनके द्वारा अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित को-आर्डिनेट के आधार पर गूगल इमेज प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किये जाने का अनुरोध है। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि गूगल इमेज के अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 750 मीटर पर एक ब्रिज है, अतः उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-96) के सरल क्रमांक-57 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-32,814 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 32,814 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 32,814 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 750 मीटर पर एक ब्रिज है, अतः उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

4. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

10. Case No 9314/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 4.0 ha. (34,560 cum per annum) (Khasra No. 1331) Village -

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

Kheriyasindh, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1331) Village - Kheriyasindh, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (M.P.) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5549 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार इस खदान को मिला कर 95.472 हे. होता है अतः यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-96) के सरल क्रमांक-46 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-34,560 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 34,560 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 34,560 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो को-आर्डिनेट ऑनलाईन अपलोड किए गए हैं, उनका जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित को-आर्डिनेट से मिलान नहीं हो रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान में एक अन्य खदान "धारा-2" के को-आर्डिनेट अंकित हो गये हैं तथा अनुमोदित खनन योजना में सही को-आर्डिनेट उल्लेखित है, अतः उन्हें ही मान्य किया जाये। समिति ने चर्चा कर अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र संबंधित खनिज अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

11. Case No 9315/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 11.170 ha. (1,02,000 cum per annum) (Khasra No. 1713, 2278, 2435) Village - Bharaulikala, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind, MP M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1713, 2278, 2435) Village - Bharaulikala, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (M.P.) 11.170 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5638 दिनांक 27/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 11.170 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है । इसी प्रकार प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि नदी के दोनों किनारों पर वन क्षेत्र होना प्रतीत होता

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

है । अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इस भूमि की स्थिति (रिजर्व फॉरेस्ट या रेवेन्यू फॉरेस्ट) स्पष्ट की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है । साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-95) के सरल क्रमांक-20 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-1,02,000 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 1,02,000 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 1,02,000 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
3. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. नदी के दोनों किनारों पर वन क्षेत्र होना प्रतीत होता है । अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इस भूमि की स्थिति (रिजर्व फॉरेस्ट या रेवेन्यू फॉरेस्ट) स्पष्ट की जाये ।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

12. Case No 9316/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 10.0 ha. (60,000 cum per annum) (Khasra No. 1420) Village - Goram 1420, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1420) Village - Goram, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (M.P.) 10.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वांटिटी इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5538 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित हैं एवं इस खदान का क्षेत्रफल 10.000 है। होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज नहीं खुल रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कई बार सॉफ्टवेयर में तकनीकी व्यवधान आने के कारण ऐसा होता है, जिसके संदर्भ में उनके द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में उनके द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित को-आर्डिनेट के आधार पर गूगल इमेज प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किये जाने का अनुरोध है। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि गूगल इमेज के अनुसार खदान में आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान से रेत निकाल लिये जाने के कारण खनन क्षेत्र ऐसा दिख रहा है लेकिन वर्षाकाल के पश्चात् रेत रिप्लेनिश हो जाती है। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-95) के सरल क्रमांक-25 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-60,000 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 60,000 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 60,000 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।

12. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

13. Case No 9317/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 19.0 ha. (1,14,000 cum per annum) (Khasra No. 546, 850) Village - Khairoli, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 546, 850) Village - Khairoli, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (M.P.) 19.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5553 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, एवं इस खदान का क्षेत्रफल 19.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित को-आर्डिनेट के अनुसार खनन का क्षेत्रफल ज्यादा है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन को-आर्डिनेट अनुसार क्षेत्रफल कम (19.00 हे.) है, क्योंकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इमेज गूगल पर देखने से यह स्पष्ट होता है कि आवंटित क्षेत्र के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग का कुछ क्षेत्र छोड़कर बीच में खनन योग्य क्षेत्र

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

स्वीकृत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्पूर्ण खसरे के को-आर्डिनेट दिए गए हैं जबकि लीज खसरे के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग को छोड़ते हुए स्वीकृत की गई है, जिसका सम्पूर्ण विवरण अनुमोदित खनन योजना में दर्ज है। समिति ने पाया कि इस स्थिति में संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण आवश्यक है, चूंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस खदान की खनन योजना का अनुमोदन किया जा चुका है, अतः खनन योजना अनुसार टॉर हेतु विचार किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ उपरोक्त संदर्भ में संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण संलग्न करें तथा वास्तविक को-आर्डिनेट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी अद्यतन कराये। समिति की यह भी अनुशंसा है कि उपरोक्त संदर्भ में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा संचालक, खनिकर्म एवं भौमिकी म.प्र. तथा खनिज अधिकारियों को उपरोक्तानुसार समय-समय पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के अद्यतन किये जाने बावत् निर्देश जारी किये जाये।

परियोजना प्रस्तावक ने सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका-14 (पेज नं.-96) के सरल क्रमांक-43 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-1,14,000 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 1,14,000 घनमीटर है, अतः ई.आई.ए. हेतु टॉर इसी मात्रा अर्थात् 1,14,000 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

3. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित को-आर्डिनेट के अनुसार खनन का क्षेत्रफल ज्यादा है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन को-आर्डिनेट अनुसार क्षेत्रफल कम (19.00 हे.) है, क्योंकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इमेज गूगल पर देखने से यह स्पष्ट होता है कि आवंटित क्षेत्र के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग का कुछ क्षेत्र छोड़कर बीच में खनन योग्य क्षेत्र स्वीकृत किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्पूर्ण खसरे के को-आर्डिनेट दिए गए हैं जबकि लीज खसरे के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग को छोड़ते हुए स्वीकृत की गई है, जिसका सम्पूर्ण विवरण अनुमोदित खनन योजना में दर्ज है । अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ उपरोक्त संदर्भ में संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण संलग्न करें तथा वास्तविक को-आर्डिनेट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी अद्यतन कराये
5. नदी के दोनों किनारों पर वन क्षेत्र होना प्रतीत होता है । अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इस भूमि की स्थिति (रिजर्व फॉरेस्ट या रेवेन्यू फॉरेस्ट) स्पष्ट की जाये ।
6. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाईन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
9. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

13. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रीफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

14. Case No 9321/2022 Suman Jain, Owner, 297, Sahaipur, Dist. Jabalpur, MP, Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.700 ha. (15089 Tonne per annum) (Khasra No. 335/2, 337, 351, 350/3) Village - Bagrai, Tehsil - Shahpura, Dist. Jabalpur, (MP) Env. Consultant, Atmos Sustainable Solutions (P) Ltd., Noida (U.P.)

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 335/2, 337, 351, 350/3) Village - Bagrai, Tehsil - Shahpura, Dist. Jabalpur (M.P.) 2.77 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक सुश्री सुमन जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आर.के. चौबे, मेसर्स एटमोस सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रा.लि. नोयडा (उ.प्र.) परिस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2039 दिनांक 25/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 16.59 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार एकल प्रमाण पत्र अनुसार वन सीमा कक्ष क्रमांक आर.एफ. 168 से 118 मीटर दूर होने से प्रकरण में संभागायुक्त की अध्यक्षता गठित समिति की बैठक दिनांक 02/03/22 अनुसार “उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । परीक्षण उपरांत वन सीमा की ओर से आवेदित क्षेत्र में चैनलिंग-फेंसिंग करने तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण करने तथा वृक्षारोपण का खदान अवधि तक संरक्षण करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करें, जिमसे इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 430 मीटर पर नर्मदा नदी है, अतः परियोजना प्रस्तावक सक्षम प्राधिकारी से नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से इस खदान की दूरी हेतु प्रमाण-पत्र ई.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार खदान के पूर्वी क्षेत्र में 330 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर कच्चा रोड़ है । आवंटित खनन क्षेत्र में एक पुराना पिट है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पिट 2014 से है तथा खदान इसी अवस्था में 2022 में स्वीकृत हुई है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 430 मीटर पर नर्मदा नदी है, अतः परियोजना प्रस्तावक सक्षम प्राधिकारी से नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से इस खदान की दूरी हेतु प्रमाण-पत्र तथा संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

15. Case No 9318/2022 M/s Alakhananda Stone Mill, Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510 Prior Environment Clearance for Stone Query in an area of 4.650 ha. (Total Production – 2,50,000) Stone, Boulder – 1,50,000 cum per annum, M-sand – 1,00,000 cum per annum (Khasra No. 151 Village - Dhujaura, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.)

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

This is case of Stone & Boulder Query. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 151 Village - Dhujaura, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (M.P.) 4.650 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1699 दिनांक 03/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 9.616 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 144 के सरल क्रमांक-124 पर इस खदान का विवरण दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 90 मीटर पर पक्का रोड़ है, अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान पहाड़ (ऊँचाई लगभग 50-60 मीटर) पर स्थित है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में खनिज परिवहन योजना (सड़क के ग्रेडिएंट के साथ) सुरक्षा उपायों के साथ प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार खदान आवंटित क्षेत्र में एम-सेड प्लांट भी प्रस्तावित है, अतः एम-सेड प्लांट का ले-आउट, इस ऊँची पहाड़ी पर स्थापित किये जाने की योजना, प्रस्तावित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 90 मीटर पर पक्का रोड़ है, अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खदान पहाड़ (ऊँचाई लगभग 50-60 मीटर) पर स्थित है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में खनिज परिवहन योजना (सड़क के ग्रेडिएंट के साथ) सुरक्षा उपायों के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. आवंटित क्षेत्र में एम-सेड प्लांट भी प्रस्तावित है, अतः एम-सेड प्लांट का ले-आउट, इस ऊँची पहाड़ी पर स्थापित किये जाने की योजना, प्रस्तावित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

5. खदान पहाड़ (ऊँचाई लगभग 50–60 मीटर) पर स्थित होने के कारण स्वाइल वाटर कंजर्वेशन प्लॉन तथा गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की डिजाइन एवं ड्राइंग ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आंवटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
9. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

16. Case No 9312/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 3.0 ha. (32,400 cum per annum) (Khasra No. 770) Village - Madori, Tehsil - Lahar, Dist. Bhind, MP

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 770) Village - Madori, Tehsil - Lahar, Dist. Bhind (MP) 3.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5545 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान कार्यरत नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स केएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल, उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

(Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 728 दिनांक 08/06/22 द्वारा अनुमोदित भिण्ड जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है जिसकी तालिका-14 (पेज नं.-97) के सरल क्रमांक-65 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-32,400 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 32,400 घनमीटर है, अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 32,400 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये किंतु इस लीज के को-आर्डिनेट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा ऑन-लाइन अपलोड किये गये को-आर्डिनेट माईन प्लान से लिये गये हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 32,400 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 09.59 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 09.76 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु.12.00 लाख :-

SN	Issues	Cost in Rs (Lacs)
Provision of infrastructure support to the School	One kitchen room with platform, 2 Toilet at Govt. Primary School, with facility of water through bore well at School. 5KW solar panel with power back-up in vaillge Madori	6.00
Provision of medical aids	Distribution of medical aids at primary helath centre at village Madori in terms of wheel chairs, medicla kits, water coolers, medicalbeds etc	5.0
Workshop on Krishi Vaniki	Arrangement with agricultural department on Krish Vaniki aspects wrt agro forestry in village Madari and nearby area.	1.00
Total		12.00

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 02 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5,000 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
1 st year	Along the River bank	Choti Jamun, Kahwa, Khas, Nagarmotha, Katang bans, Badi Jamun, Karanj and other local species	1000
2 nd year	Along the River bank	Cut Jamun, KahwaKhas, Nagarmoth, Katang bans, Jamun, Karanj and other local species	1000
1 st year to 2 nd year	Along the transport route (725m) 2.5m distance with 1m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	1000
1 st year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000

17. Case No 9319/2022 M/s Bansal Construction Works Pvt. Ltd, Authorized Person Shri Amit Khare, E-2/88, Arera Colony, Dist. Bhopal Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.50 ha. (45158 cum per annum) (Khasra No. 144/1 Part) Village - Toda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar, (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 144/1 Part) Village - Toda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (M.P.) 1.50 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1106 दिनांक 01/08/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना श्री अमित खरे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंटरनेशनल, जयपुर (राजस्थान) उपस्थित हुए। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान का नाम दर्ज नहीं है किंतु प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 07/09/22 के माध्यम से सूचित किया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है उसमें इस खदान का विवरण दर्ज है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा एक अन्य प्रकरण में 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) निर्णय लिया है कि :-

“राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – चूंकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की अनुशंसा पर सिया द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिए वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाना उचित होगा। पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर सिया एवं सेक को सूचित किया जाये”।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 150 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण पूर्व दिशा में 320 मीटर पर आबादी तथा पूर्व दिशा में 330 मीटर पर पक्का रोड़ है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये शासकीय भूमि है जो अस्थाई अनुज्ञा के रूप में लीज स्वीकृत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 45,158 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.35 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला छापरी में 35 बेंच व 10 कुर्सियों की व्यवस्था	50,000

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा में 2 व्हील चेयर्स व 3- मेडिकल बेड एवं अन्य चिकित्सा उपकरण की व्यवस्था	1,00,000
--	----------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिह्नित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
योग		1800

18. Case No 9320/2022 Shri Anand Tamrakar, Prop. H. No.- B-23, Kasturba Nagar, Govindpura, Tehsil- Huzur, Dist.- Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Khodu Bharu Sand Mine in an area of 1.0 ha. (12000 cum per annum) (Khasra No. 148/5/Kha) Village - Singarpur, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP

This is case of Khodu Bharu Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 148/5/Kha) Village - Singarpur, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (M.P.) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1702 दिनांक 03/08/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.100 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है। खोदू भरू खदानों के ब्यौरे संबंधी तालिका के सरल क्रमांक-3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। समिति ने पाया कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू-भरू खदानों के अन्य विवरणों के साथ उनके को-आर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, अतः उनके को-आर्डिनेट दिए जाने चाहिए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट अनुमोदित खनन योजना से लिए गए हैं। अतः उन्हें मान्य किया जाये। समिति की यह अनुशंसा है कि संबंधित खनिज अधिकारी खोदू-भरू खदानों के को-आर्डिनेट को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्ज करें एवं इस बावत् राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा संचालक, खनिकर्म एवं भौमिकी म.प्र. तथा संबंधित खनिज अधिकारियों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू-भरू खदानों के को-आर्डिनेट अद्यतन करने बावत् निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध है। प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खोदू-भरू रेत खदान केन नदी से करीब 02 किलोमीटर की दूर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार कुल 03 मीटर गहराई तक खनन प्रस्तावित है तथा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में पूर्व दिशा में 280 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 350 मीटर पर आबादी है। इसी प्रकार आवंटित खनन क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उन्हें काटा नहीं जायेगा तथा उसी प्रकार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-सी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 12,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.17 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.92 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
➤	ग्राम सिगारपुर के शासकीय प्राथमिक शाला में फर्नीचर (बीस लकड़ी की बेंच और दस लकड़ी की कुर्सीयाँ) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 वील चेयर	60,000

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	इमली, आवंला, आम, जामुन, सीताफल मुनगा, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	650
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	350
योग		1200

19. Case No 9325/2022 Shri Anand Tamrakar, Prop. H. No.- B-23, Kasturba Nagar, Govindpura, Tehsil- Huzur, Dist.- Bhopal (M.P.), Prior Environment Clearance for Ajeetpur Khodu Bharu Sand Quarry in an area of 1.0 ha. (12000 cum per annum) (Khasra No. 488/4/17) Village - AJEETPUR Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (M.P.)

This is case of Khodu Bharu Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 488/4/17) Village - AJEETPUR Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (M.P.) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1701 दिनांक 03/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है। खोदू भरू खदानों के ब्यौरे संबंधी तालिका के सरल क्रमांक-6 पर इस खदान का विवरण दर्ज है।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

आज दिनांक 23/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है। खोदू भरू खदानों के ब्यौरे संबंधी तालिका के सरल क्रमांक-6 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। समिति ने पाया कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू-भरू खदानों के अन्य विवरणों के साथ उनके को-आर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, अतः उनके को-आर्डिनेट दिए जाने चाहिए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट अनुमोदित खनन योजना से लिए गए हैं। अतः उन्हें मान्य किया जाये। समिति की यह अनुशंसा है कि संबंधित खनिज अधिकारी खोदू-भरू खदानों के को-आर्डिनेट को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्ज करें एवं इस बावत् राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा संचालक, खनिकर्म एवं भौमिकी म.प्र. तथा संबंधित खनिज अधिकारियों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू-भरू खदानों के को-आर्डिनेट अद्यतन करने बावत् निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध है। प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खोदू-भरू रेत खदान केन नदी से करीब 200 मीटर की दूर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार कुल 03 मीटर गहराई तक खनन प्रस्तावित है तथा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 500 मीटर पर आबादी है। इसी प्रकार आवंटित खनन क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उन्हें काटा नहीं जायेगा तथा उसी प्रकार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-सी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 12,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 12.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.92 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
➤	ग्राम अजीतपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 1 कम्प्यूटर, प्रिन्टर, टेबल के साथ और विद्यालय की दीवार का प्लास्टर	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	इमली, आवंला, आम, जामुन, सीताफल, मुनगा, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	650
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	350
योग		1200

20. जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर चर्चा –

निम्नानुसार उल्लेखित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज अधिकारियों द्वारा आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित खनिज अधिकारियों/निरीक्षकों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गई।

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राजगढ़ (रेत खनिज)

Mineral	Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 575 th & 591 Meeting dated 30.05.22 & 27.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Sand)
Deliberation in the SEAC 575th & 591 Meeting dated 30.05.22 & 27.08.2022	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 गौण खनिज, जिला राजगढ़ राज्य स्तरीय पर्यावरण समारोह निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 600 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में प्रस्तावित की गई। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ म.प्र. ने पत्र 479 दिनांक 26/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 30 दिवस की अवधि हेतु अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 05/4/22 को किया गया।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :- - जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 25 पर अंकित है कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में रेत की रॉयल्टी टेबल में रेत का उत्पादन "नॉट एप्लीकेबल" दर्शाया गया है परंतु शासकीय राजस्व इन वर्षों में दर्शाया गया है जिस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाना चाहिए । - इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 68-69 टेबिल क्रमांक-21 में खनिज रेत हेतु "माइनेबल मिनरल पोटेन्शियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) लीजवार विवरण (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है । - इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटাইज मेप (आर्क ब्यू / गूगल अर्थ कम्पेरेटल - सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है । राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22 गौण खनिज, जिला राजगढ़ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राजगढ़ (संशोधित) - आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री मुमताज खान, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । राजगढ़ जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :- - तालिका क्रमांक निरंक पेज क्र०. निरंक की मिनरल पोटेन्शियल एवं 03 वर्षों के रेत की मात्रा दर्शाने वाली तालिका में रेत का पोटेन्शियल वर्ष 2018-19, 2019-20 में रेत का उत्पादन काफी कम है जैसे - रेत की उलब्ध मात्रा 8593 घनमीटर की तुलना में 588.20 घनमीटर रेत का उत्पादन किया गया । 21000 घनमीटर की तुलना में 8.7 घनमीटर रेत का उत्पादन किया गया । 22400 घनमीटर की तुलना में 140.24 घनमीटर रेत का उत्पादन किया गया । - उपरोक्त टेबल में दी गई लीजों की चौड़ाई दशमलव के बाद तीन एवं चार अंको में दर्शायी गयी है । जैसे 198.114 मी. , 66.288 मी. 73.1655 मी. । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी ।
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Rajgarh No. 791 dated 02.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में तालिका क्र० - Annexure - 3 पेज न०. 56.60 में माइनेबल मिनरल पोटेन्शियल (घनमीटर में) 60: टोटल मिनरल पोटेन्शियल, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

	03 वर्षों के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा।
--	--

आज दिनांक 22/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री मुकेश कुमार सिंह, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिसवीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरुद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये।

समिति की यह भी अनुशांसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशांसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के साथ राजगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गुना (रेत खनिज)

आज दिनांक 23/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्रीमति पूजा वानखेडे, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे। जिले की गुना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) में पाया गया कि:-

Mineral	Sand
Earlier DSR Discussed	New DSR
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Guna No. 1004 dated 22.09.2022
SEAC meeting	

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

dated 23/09/22	● गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तालिका क्र०. – 14 (Annexure- III) पेज क्र०. 29 में लीजवार जो मिनरल पोटेन्शियल का विवरण प्रस्तुत किया गया है, तथा पेज न०. 30, Annexure - V में प्रस्तुत तालिका में रेत की मात्रा की गणना करते समय 0.5 घन मी. दर्शाया गया है, जबकि इसी तालिका में Post Mansoon में उपलब्ध रेत की मात्रा 01 मीटर दर्शायी गयी है। अतः Annexure - III में दी गई तालिका में उपरोक्त आधार पर पुनः प्रस्तुत करें। ● विगत 03 वर्षों के रेत की मात्रा का खदानवार मात्रा का Production निरंक दर्शाया गया है। कृपया उक्त जानकारी को भी स्पष्ट करें।
-----------------------	--

आज ही श्रीमति पूजा वानखेडे, खनिज निरीक्षक ने समिति के सुझाये अनुसार आवश्यक सुधारों को पूर्ण कर संशोधित रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला— गुना के पत्र क्र० 1004, दिनांक 22/09/22 के माध्यम से तालिका क्र० – Annexure - III पेज न०. 29 में माइनेबल मिनरल पोटेन्शियल (घनमीटर में) 60: टोटल मिनरल पोटेन्शियल, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षों के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेन्शियल दिया गया है। मिनरल पोटेन्शियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रतलाम

अ. रतलाम – अन्य गौण खनिज मुरुम – रेत को छोड़कर—

Mineral	Other Minor Minerals (Stone)
Earlier DSR Discussed	SEAC 579 th Meeting dated 17.06.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Other Minor Minerals)
Deliberation in the SEAC	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 गौण खनिज मुरुम जिला रतलाम,

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

579th Meeting
dated 17.06.22

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –गौण खनिज जिला रतलाम (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 722 दिनांक 06/06/22 के माध्यम से रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 07/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 में प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम म.प्र. ने पत्र 1084 दिनांक 06/06/22 द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय में जमा कराई गई। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि जिला पोर्टल पर इसे 21 दिवस हेतु अपलोड कर प्राप्त दावों/आपत्तियों अनुसार आवश्यक सुधार कर उप संभागीय समिति की अनुशंसा के पश्चात् अनुमोदन हेतु सिया, भोपाल भेजा जा रहा है। जिला कार्यालय के किस बैठक में एवं दिनांक को उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अनुमोदन किया गया, इसका उल्लेख नहीं है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रतलाम की ओर से सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :-

- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फॉर्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियाँ वांछित तालिका में नहीं दी गई हैं जिस कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका-3 एवं 4 में रेत, गिट्टी स्टोन एवं मुरुम की जानकारी में लीज के अक्षांश-देशांश तथा वैधता की जानकारी समहित नहीं की गई है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 62 के बिंदु क्रमांक 17 में स्थित ईको सेंसिटिव जोन की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है सैलाना एवं खरमौर ईएसजेड को एक ही जिले में होना बताया गया है और खरमौर ईएसजेड को जिला रतलाम में होना बताया गया है जबकि खरमौर ईएसजेड जिला धार के अंतर्गत आता है। संबंधित सैलाना ईएसजेड के न तो विस्तार दिये गये हैं न ही सीमायें बताई गई हैं। चूंकि जिले परिस्थितिक संवेदी जोन जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अतएव इसका वर्णन जिसमें नोटिफिकेशन का नं. दिनांक एण्ड विस्तार और सीमायें का समायोजन होना अपरिहार्य है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के फिगर नं. 13 में ईएसजेड मैप का टाइटल है परंतु मैप के अंदर सीसमिक जोन दर्शाया गया है, इसमें संबंधित नक्शों का समावेश होना चाहिए।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक-21 की तालिका-20 में खदानों के कलस्टर को दर्शाया गया है No. of mining lease location परंतु उक्त तालिका में नॉन-कलस्टर लिखा गया है। अतः कृपया स्पष्ट करें कि क्या जिले में कलस्टर खदानों की जानकारी निरंक है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक-21 एवं 22 जिसमें पोस्ट और ग्री मानसून में रेत की उपलब्धता दर्शाई गई है, संबंधित दोनों तालिका में जो रेत की उपलब्धता एवं स्वीकृत गहराई के साथ जो गणना की गई है, वह सही प्रतीत नहीं होती है। यदि किसी वजह से रेत की उपलब्धता/आंकलन कम हो रही है तो रिमार्क में उचित टिप्पणी के साथ, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए तथा ग्री-मानसून एवं पोस्ट-मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोर्टेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है।
- बिंदु क्रमांक-26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटलाईज मैप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेरेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू-वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिले में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फॉर्मेशन) का समावेश होना चाहिए।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

	➤ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शों के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सकें। यदि ए-4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए-3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए। ➤ समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशील क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है। ➤ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फॉर्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/22 गौण खनिज मुरुम, जिला रतलाम कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र. 1622 दिनांक 08/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट— रतलाम (गौण खनिज—मुरुम) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है। आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। रतलाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया:- ➤ प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में जानकारी निर्धारित फॉर्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नहीं दी गयी है। ➤ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी भी नहीं दी गयी है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एवं रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	DSR (Other Minor Minerals) for updation
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Ratlam No. 1726 dated 23.09.2022
SEAC meeting dated 23/09/22	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) रतलाम – मुरुम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर-13 (पेज क्र. 35 से प्रारंभ टेबल) में जानकारी दे दी गई है। साथ ही खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में एक भी मुरुम की खदान प्रचलन में नहीं है अभी मात्र 06 खदानों की LoI जारी की है जिसकी जानकारी डी.एस.आर के पेज नं. 35 में दी गई है।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

आज दिनांक 23/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुई।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला— रतलाम के पत्र क्र० 1726/खनिज/2022-23 दिनांक 23/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी दे दी गई है। अतः समिति रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज— मुरुम) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

ब. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट . रेत खनिज – रतलाम

Mineral	Other then Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 579, 587 th , 588 Meeting dated 17.06.2022 & 16.08.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Sand)
Deliberation in the SEAC 579, 587 th , 588 Meeting dated 17.06.2022 & 16.08.22	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 579 वीं बैठक दिनांक 17/06/22 <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रतलाम (म.प्र.)</u> राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 722 दिनांक 06/06/22 के माध्यम से रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 07/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 में प्रस्तावित है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम म.प्र. ने पत्र 1084 दिनांक 06/06/22 द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय में जमा कराई गई। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि जिला पोर्टल पर इसे 21 दिवस हेतु अपलोड कर प्राप्त दावे /आपत्तियों अनुसार आवश्यक सुधार कर उप संभागीय समिति की अनुशंसा के पश्चात् अनुमोदन हेतु सिया, भोपाल भेजा जा रहा है। जिला कार्यालय के किस बैठक में एवं दिनांक को उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अनुमोदन किया गया, इसका उल्लेख नहीं है। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रतलाम की ओर से सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :- • प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फॉर्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियों वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है। • जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका-3 एवं 4 में रेत, गिट्टी स्टोन एवं मुरुम की जानकारी में लीज के अक्षांश-देशांश तथा वैधता की जानकारी समहित नहीं की गई है। • जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका-21 में रेत की जो मात्रा जो कि घनमीटर में दर्शाई गई है, सही प्रतीत नहीं होती, जैसे :- • सरल क्रमांक-1 में एरिया 50,000 वर्गमीटर, गहराई 3.00 मीटर और रेत की उपलब्ध मात्रा 4000

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

	घनमीटर । - सरल क्रमांक-2 में एरिया 30,000 वर्गमीटर, गहराई 3.00 मीटर और रेत की उपलब्ध मात्रा 4020 घनमीटर, अतः मात्रा संबंधी स्थिति स्पष्ट करें एवं गणना कैसे की गई है, स्पष्ट करें । - जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका क्रमांक 27 एवं 28 में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेबल मिनरल पोर्टेंशियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोर्टेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है । - जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक-21 एवं 22 जिसमें पोस्ट और प्री मानसून में रेत की उपलब्धता दर्शाई गई है, संबंधित दोनों तालिका में जो रेत की उपलब्धता एवं स्वीकृत गहराई के साथ जो गणना की गई है, वह सही प्रतीत नहीं होती है । यदि किसी वजह से रेत की उपलब्धता/आंकलन कम हो रही है तो रिमार्क में उचित टिप्पणी के साथ, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए तथा प्री-मानसून एवं पोस्ट-मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोर्टेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है । राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 588 वीं बैठक दिनांक 16/08/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रतलाम (रेत खनिज)- सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी - चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में मिनरल पोर्टेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोर्टेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । बैठक में उपस्थित सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Ratlam letter No. 1724 dated 23.09.2022 (Received SEAC on 23.09.22).
SEAC meeting dated 23/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में तालिका क्र० 21 पेज न०. 91 में माइनेबल मिनरल पोर्टेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोर्टेंशियल, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षों के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोर्टेंशियल दिया गया है । जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोर्टेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा ।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 सितम्बर 2022

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला— रतलाम के पत्र क्र0 1618, दिनांक 08/09/22 (सेक कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 23/09/2022) के माध्यम से मिनरल पोटेन्शियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेन्शियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

- i. Minal Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 23 सितम्बर 2022

15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 23 सितम्बर 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

596वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

- नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained